(7) सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का निपटान करना।

(8) सेवा प्रदाताओं के बीच स्थानीय तथा दूरसंचार विभाग के लम्बी दूरी के सर्किट प्रदान करने के लिए समय सीमा के बारे में स्पष्ट रूप से बताना/इसका पालन सुनिश्चित करना।

(9) सरकार द्वारा भेजा गया कोई भी अन्य मामला।

(iii) संरचना

अध्यक्ष तथा दो सदस्य

(5) अग्रगामी परियोजनाएं

अग्रगामी परियोजनाएं, वे परियोजनाएं हैं, जिनमें नई प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध तकनीकें लाने की परिकल्पना की गई हैं और जिनमें सामान्यतः विदेशी निवेश शामिल होता है। 49% से कम की विदेशी इक्विटी वाली परियोजनाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

अग्रगामी परियोजनाएं कम घनत्व लेकिन वृद्धि की अधिक संभावना रखने वाले दूरसंचार क्षेत्रों में ही स्वीकार की जाएंगी। अग्रगामी परियोजनाओं में लाई गई प्रौद्योगिकी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से आधुनिक होनी चाहिए जो भारत में प्रयोग में न रही हो। मूलभूत सेवाएं प्रदान करने वाली पार्टी को वरीयता दी जाएगी।

अग्रगामी परियोजनाओं को मूलभूत वायस सेवाएं प्रदान करने के लिए गुप्त रूप से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएंगी।

अग्रगामी परियोजनाएं लगाने के प्रस्तावों की समीक्षा दूरसंचार विभाग द्वारा की जाएगी। दूरसंचार विभाग की सिफारिशों को विदेशी निवेश के लिए अधिकार प्राप्त समिति को अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी।

6. निविदाएं

निविदा दस्तावेज व्यौरेवार और स्वतःपूर्ण होंगे। जबकि तकनीकी बोलियों में आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। वित्तीय बोलियों के संबंध में बातचीत करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

7. लाइसेंस की अवधि

लाइसेंस प्राधिकारी सरकार होगी। लाइसेंस की अवधि आमतौर से 15 वर्ष होगी।

8. नेटवर्क और सेवा बाध्यता

नेटवर्क तथा लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सेवाबाध्यताओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताने के लिए एक मानक दस्तावेज तैयार किया जाएगा।

9. दण्ड

बहुसंख्यक सेवा प्रदाताओं को देखते हुए ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सेवा प्रदाता ग्राहकों को निर्धारित स्तर/गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना और सरकार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट अन्य बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंग, ऐसा न करने पर उन्हें कानून के तहत निर्धारित दण्ड दिया जाएगा।

दूरसंचार सेवाओं का उदारीकरण

11. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विशेषज्ञों ने दूरसंचार सेवाओं के उदारीकरण की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या दूरसंचार विशेषज्ञों ने यह बताया है कि दूरसंचार के किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का उदारीकरण किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) दूर संचार सेवा उदारीकरण विश्व व्यापी सतत प्रक्रिया है और इस मामले में कई विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । तथापि, भारत में दूरसंचार सेवाओं में उदारीकरण 13 मई, 1994 को संसद में रखी गई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का परिणाम है ।

Guidelines for bidders of basic and cellular telephone services

12. DR. BIPLAB DASGUPTA:
SHRI MD. SALIM:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Governments decision regarding guidelines for bidders of basic and cellular telephone services goes against Indian firms; and

(b) if so, whether Government have any plan for reviewing the guidelines to make Indian firms competitive?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No Sir.

(b) Question does not arise in view of above.

Pilot projects for telecom network

13. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have approved pilot projects for telecommunication network, particularly those of foreign countries;

(b) whether Government have received applications for similar projects from Indian telecommunication companies;

(c) whether Government are likely to lose control on telecommunication services in sanctioning the projects of foreign companies; and

(d) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Government has issued Letter of Intent for a Pilot project by an Indian company which is a joint venture between a foreign company and an Indian company.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) National interests will be taken care of if sanctions are issued for such projects.

Complaints against disconnection of telephones in Calcutta

14. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Calcutta Telephones have been resorting to illegal and irregular disconnection of subscribers' telephones due to lapses in its Accounts department;

(b) whether the Calcutta Telephones have received a number of complaints against such irregular disconnections from the subscribers in the past one year;

(c) whether any efforts have been made to redress the grievances of the affected subscribers; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) to (d) The